फर्द अहकाम
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– मीनाक्षी
विपक्षी :– राज्य
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.
पत्रावली संख्या : 179/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत 2018 में तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीयां मय प्रार्थीयां उपस्थित। विपक्षी राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीयां व राजपेरोकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण प्रार्थीयां के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थीयां एवं विपक्षीगण के मध्य भूमि की सीमा को लेकर विवाद बना रहता हैं। विवाद समाप्ति हेतु प्रार्थीयां द्वारा पत्थरगढी किया जाने की प्रार्थना की हैं। राजपेरोकार द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। अतः प्रकरण में पडोसी खातेदारों के मध्य भूमि की सीमा को लेकर विवाद हैं। प्रार्थीयां प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीयां अपनी भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं। प्रार्थीयां द्वारा वाद वर्णित भूमि में आराजी नम्बर 1256 आ.चा. की भी पत्थरगढी चाही हैं किन्तु आ.चा. की पत्थरगढी सम्भव नहीं होने से आ.चा. की भूमि को छोडकर शेष भूमि पर पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1258, 1259 किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि की पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं का सीमांकन कर पत्थरगढी कराई जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा)	